प्रेस विज्ञप्ति
21/02/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स जियोडेसिक लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामले में 20/02/2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **11.07 करोड़ रुपये** की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में स्थित विभिन्न कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर बैंक एफडी के साथ-साथ आवासीय फ्लैट, वाणिज्यिक और कृषि भूमि शामिल हैं।

ईडी ने मुंबई के एमआईडीसी पुलिस स्टेशन द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स जियोडेसिक लिमिटेड के निदेशकों प्रशांत मुलेकर, किरण कुलकर्णी, पंकज कुमार श्रीवास्तव और उनके कर सलाहकार दिनेश जाजोदिया के खिलाफ एफसीसीबी (विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड) धारकों से 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स जियोडेसिक लिमिटेड ने 2008 में विदेशी निवेशकों से सिटी बैंक, लंदन के माध्यम से ट्रस्टी के रूप में 125 मिलियन अमरीकी डालर का एफसीसीबी जुटाया था, जिसका उद्देश्य मेसर्स जीएल के संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में विदेशी अधिग्रहण और निवेश करना था। हालांकि, एफसीसीबी फंड का दुरुपयोग किया गया और अन्य विदेशी कंपनियों में निवेश/उधार गतिविधियों के लिए उसका गलत इस्तेमाल किया गया और उक्त विदेशी फंड को हड़पने के धोखे से मेसर्स जियोडेसिक लिमिटेड के भारतीय खातों में भी स्थानांतरित कर दिया गया। मेसर्स जीएल ने प्रमुख फर्जी कंपनियों से सॉफ्टवेयर की फर्जी बिक्री/खरीद करके एफसीसीबी धारकों के पैसे हड़प लिए थे। यह भी पता चला है कि मेसर्स जियोडेसिक लिमिटेड से फर्जी कंपनियों में भारी मात्रा में फंड स्थानांतरित किया गया था, जो दिनेश जाजोदिया और अन्य के प्रबंधन और नियंत्रण में थे और आगे व्यापारिक लेनदेन की आड़ में अन्य संस्थाओं को भी स्थानांतरित किया गया था। आगे की जांच में पता चला कि ये लेन-देन वैध व्यापार प्रथाओं से कोसों दूर थे, जिनका उद्देश्य वित्तीय हेरफेर करना था। ऐसी संस्थाओं द्वारा रखी गई आय को पीएमएलए, 2002 के तहत जब्त कर लिया गया, ताकि इसके अलगाव/हस्तांतरण/बिक्री को रोका जा सके।

अब तक इस मामले में मेसर्स जीएल के निदेशकों प्रशांत मुलेकर, पंकज श्रीवास्तव, किरण कुलकर्णी और इसके कर सलाहकार दिनेश जाजोदिया सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस अनंतिम कुर्की आदेश से पहले, मेसर्स जियोडेसिक लिमिटेड और अन्य के मामले में 57.14 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए पांच अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए थे।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।